डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक न्याय

डॉ0 (श्रीमति) नीरज
असि0प्रोफे0, राजनीतिविज्ञान विभाग,
राजकीय महिला महाविद्यालय, कुरावली, मैनपुरी (उ0प्र0)

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 (श्रीमति) नीरज

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक न्याय

RJPP 2018,
Vol. 16, No. 2, pp. 44-52
Article No. 7

***Online available at** : http://anubooks.com/?page_id=2004*

सारांश

सामाजिक न्याय समाज या राज्य में एकत्रित होने वाले धन, परिसंपत्तियों, विशेषाधिकारों और लाभों के प्रति वितरक न्याय के सिद्धान्त का एक अनुप्रयोग है। डॉ0 अम्बेडकर ब्राह्मणवाद की संकीर्णता, विकृतियों और पाखण्डों के कठोर निंदक थे। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद हिन्दू समाज के पिछड़े और अछूत वर्ग के सामाजिक शोषण का एक दुष्ट और हानिकारक एजेंट था। आखिरकार उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों में सांत्वना मिली जिन्हें वह दलितों का मसीहा मानते थे। जिन्होंने एक संपूर्ण समतावादी समाज के दर्शन का उपदेश दिया था। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक सुधार में परिवार व्यवस्था और धार्मिक जीवन में सुधार शामिल था। पारिवारिक सुधार का मतलब है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का अन्त, विधवा पुनर्विवाह, अन्तरजातीय विवाह आदि। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा की कड़ी आलोचना की। अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए टेक्स्ट ने धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता के अन्त और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी घोषित करने समेत व्यक्तिगत नागरिकों के लिए स्वतन्त्रताओं की व्यापक श्रृंखला हेतु संवैधानिक गारंटियाँ और सुरक्षा प्रदान की।

डॉ0 अम्बेडकर अछूतों के लिये सामाजिक पैगम्बर थे। राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय गाँधी से कम महत्वपूर्ण नहीं था। सम्पूर्ण जनता की तलाश उन्हें बौद्ध धर्म के और करीब ले गई। एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में डॉ0 अम्बेडकर की विरासत एक आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव था।

मूल शब्द– *दलित, शूद्र, अछूत, सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय।*

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय समाज या राज्य में एकत्रित होने वाले धन, परिसंपत्तियों, विषेशाधिकारों और लाभों के प्रति वितरक न्याय के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। इसका कारण यह है कि व्यक्तियों के हितों, और यहां तक कि अधिकांष लोगों के हितों से अलग साझा हितों की प्राप्ति ही न्याय का सार है। सामाजिक न्याय की दो प्रमुख अवधारणाएं रही हैं, पहली योग्यता और लायक होने की धारणा को सम्मिलित करती है, और दूसरी, जरूरतों और समानता की धारणा को। पहली अवधारणा में वंशानुगत विशेषाधिकारों का अंत और एक ऐसा खुला समाज शामिल होता है जिसमें लोगों के पास अपना महत्व दर्शाने का अवसर होता है। इसे अवसर की समानता और प्रतिभावान लोगों के लिए खुले हुए कॅरियर में अभिव्यक्त होता है। दूसरी अवधारणा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्न जरूरतों के हिसाब से चीजें बांटी जानी चाहिए क्योंकि इसका लक्ष्य है लोगों को भौतिक रूप से बराबर बनाना, इसलिए यह समानता के विचार को आवश्यक बनाती है।

इस शोध पत्र को प्रस्तुत करने का मेरा यह उद्देश्य है कि हम डॉ0 अम्बेडकर के जीवन से परिचित हो सकें तथा उनके द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किये गये प्रयासों को ज्ञात कर सके। इस शोध पत्र में यह भी बताया गया है कि डॉ0 अम्बेडकर ने कैसे दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिचे प्रयास किये तथा वे दलितों के मसीहा कैसे बने।

डॉ0 अंबेडकर जातिगत भेदभाव के षिकार थे। उनके माता–पिता हिंदु महार जाति से थे जिसे उच्च वर्ग ''अछूत'' मानता था। इसके कारण, अंबेडकर को समाज में हर जगह गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भेदभाव और अपमान अंबेडकर को ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे आर्मी स्कूल में भी बार–बार तंग करते रहे। सामाजिक हो–हल्ले के डर से, शिक्षक निम्न वर्ग के छात्रों को ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्गो के छात्रों से अलग कर दिया करते थे। शिक्षक अछूत छात्रों को अक्सर कक्षा से बाहर बैठने को कहते थे। सतारा में शिफ्ट होने के बाद, उनका दाखिला एक स्थानीय स्कूल में कराया गया, लेकिन स्कूल बदलने के बाद भी छोटे भीमराव का दुर्भाग्य नहीं बदला। वह जहां कहीं भी गए, भेदभाव उनका पीछा करता रहा। 1908 में, अंबेडकर को एल्फिनस्टोन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। सभी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक पास होने के अलावा अंबेडकर ने बड़ौदा गायकवाड़ शासक, सयासी राव से पच्चीस रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।[1]

डॉ0 अम्बेडकर ब्राह्मणवाद की संकीर्णता, विकृतियों और पाखंडों के कठोर निंदक थे। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद हिंदू समाज के पिछड़े और अछूत वर्ग के सामाजिक शोषण का एक दुष्ट और हानिकारक एजेंट था। आखिरकार उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों में सांत्वना मिली जिन्हें वह दलितों का मसीहा मानते थे जिन्होंने एक संपूर्ण समतावादी समाज के दर्शन का उपदेश दिया था।

अपने अनुयायियों को संघटित करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी और बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने कई मंदिर प्रवेश आंदोलनों/सत्याग्रहों का नेतृत्व किया, अछूतों को संगठित किया, कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और मूकनायक, बहिष्कृत सभा, और जनता जैसे अखबारों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकाशित किया। कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करने के बावजूद, उन्होंने अछूतों के हितों की रक्षा करने और समर्थन करने के लिए राउंड टेबल कांफ्रेंस में हिस्सा लिया। वह दलितों और पिछड़ों के आत्मनिर्भर बनने तक ब्रिटिश शासन को जारी रखने के पक्ष में थे क्योंकि वह मानते थे कि यदि एक बार अंग्रेज देश छोड़कर चले गये तो, ऊँची जातियां सत्ता हथिया लेंगी और वे जातियां व्यवस्था को मजबूत बना देंगी। हालांकि, उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के अत्यधिक खर्चीले चरित्र और जन कल्याण की सामान्य उपेक्षा के कारण विशेष रूप से उसकी आलोचना की। वह जानते थे कि अंग्रेजों के आकस्मिक चले जाने का नतीजा ऊँची जातियों का राजनीतिक वर्चस्व होगा।[2]

भारत में जाति व्यवस्था पर अम्बेडकर के विचार–

डॉ0 अम्बेडकर के असंख्य लेखनों और भाषणों में से, जो हजारो पन्नों में समाए हुए हैं, 'द अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट' वास्तव में उनकी महान कृति है। इसे विषय–वस्तु, तर्क, दलील, भाषा, ढंग, विवरण, प्रेरणा और सर्वोपरि बल जैसी किसी भी कसौटी से परख लिया जाए, यह सामाजिक मुक्ति का घोषणा पत्र है, और यह वैसा ही स्थान लेता है जैसा कभी विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र ने लिया था। चूंकि यह किताब विवादात्मक प्रकृति की है, इसलिए अंबेडकर ने शूद्रों की और खासतौर से अछूतों की व्यथाओं, अपमान और समग्र कष्टों पर विस्तार से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल मिसालें दी कि किस तरह उन्हें शिक्षा से और पेशे की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था और किस तरह से लांछित शारीरिक श्रम के शिकार थे, जिसका परिणाम उनकी वास्तविक आर्थिक गुलामी थी, किस तरह उन्हें मूलभूत अधिकारों से पृथक और वंचित कर दिया गया था जैसे कि सार्वजनिक कुँओं से पीने का पानी, और सबसे ऊपर, किस तरह उन्हें सामाजिक अत्याचार का शिकार बनाया जाता था लेकिन, अम्बेडकर के अनुसार, बदतर और अद्वितीय हिंदू धर्मशास्त्रों ने चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था को वैधता दी। कुख्यात मनुस्मृति ने शूद्रों और अछूतों को अमानवीय बना दिया, सदियों तक हिन्दू मानसिकता पर राज किया और जाति व्यवस्था का अंत करने के किसी भी गंभीर प्रयास में सबसे बड़ा रोड़ा डाल दिया। इस वजह से अंबेडकर ने 1927 में अपने ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह के अवसर पर सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जला डाली। अंबेडकर ने यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के महाड नगर में चौदर टंकी का पानी पीने का अछूतों का अधिकार स्थापित करने के लिए किया था। इसलिए गरीबी और अस्पृश्यता का अंत करने का युद्ध मानवाधिकारों और न्याय के लिए युद्ध बन जाता है।

उनकी किताब 'हू वर शूद्राज?' में, अंबेडकर ने अछूतों की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया। हिन्दू जाति व्यवस्था के औपचारिक वर्गीकरण में सबसे निचली जाति का गठन करने वाले शूद्रों को उन्होंने अछूतों से पृथक होने के रूप में देखा। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति संघ के रूप में परिवर्तित किया, हालांकि इसने भारत की संविधान सभा

के लिए 1946 में आयोजित चुनावों में खराब प्रदर्शन किया था। 1948 में 'हू वर शूद्राज?' के अगले भाग द अनटेबल्सः अ थीसिस ऑफ द ऑरिजिन्स ऑफ अनटचेबिलिटी' में डॉ0 अम्बेडकर ने कहा ''यह हिन्दू सभ्यताकृ मानवता को दबाने और वश में करने का शैतानी मंसूबा है। अंबेडकर आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का निम्नीकरण उत्पन्न किया है। बौद्ध प्रथाओं को महारों के समर्थन के कारण, बहिष्कृत और अछूतों के रूप में हिन्दू धर्म में उनकी स्वीकृति के बीच सम्बन्धों को भी चित्रित किया गया है। एक अलग अध्याय में, डॉ0 अम्बेडकर 1947 में हुए भारत के विभाजन पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि यदि मुस्लिम समुदाय ने एक अलग राज्य की मांग की, तो उनके हितों की सुरक्षा करनी होगी क्योंकि विभाजित हितों और साथ ही साथ भारत की आजादी के फौरन बाद विद्रोह के आसार के कारण भारतीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा मंडराने लगेगा।[3]

अछूत समुदाय के बीच अंबेडकर की प्रमुखता और लोकप्रिय समर्थन के कारण, उन्हें 1932 में लंदन में दूसरे राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। गांधी ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल उग्रतापूर्वक का विरोध किया और कहा कि उन्हें डर है कि ऐसी व्यवस्था कहीं हिन्दू समुदाय को दो समूहों में न बांट दे। 1932 में, जब ब्रिटिश अम्बेडकर के साथ सहमत हुए और अलग निर्वाचक मंडल के लिए कम्यूनल अवार्ड की घोषणा की, तब गांधी ने पूना की यरवदा सेंट्रल जेल से ही अनशन कर इसका विरोध किया। इस अनशन ने पूरे भारत में भारत नागरिक अशांति उत्पन्न कर दी और कट्टरपंथी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के नेताओं और मदन मोहन मालवीय और पालवंकर बालू जैसे कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ यरवदा में संयुक्त बैठकें आयोजित की। अछूतों के खिलाफ सांप्रदायिक प्रतिशोध और नरसंहार के भय से अंबेडकर को गांधी से सहमत होने के लिए मजबूत किया गया। इस समझौते को, जिससे गांधी ने अपना अनशन खत्म कियाऔर अंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग छोड़ दी, पूना संधि कहा गया। बदले में, विशेष रूप से अछूतों के लिए सीटों की एक निश्चित संख्या आरक्षित की गई थी (अछूतों को समझौते में ''दलित वर्ग'' कहा गया था)।

अंबेडकर और गांधी के बीच आमना–सामना ऐतिहासिक था। इसकी शुरूआत 1930–32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अंबेडकर पहले कॉन्फ्रेंस में दलितों, या अछूतों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में गए थे। लेकिन जब गांधी ने अंततः दूसरे कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का फैसला किया, उन्हें उप्ताह से तर्क दिया कि उन्होंने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया है क्योंकि वे हिन्दू समाज (जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था) का अभिन्न अंग हैं। अम्बेडकर के लिए, अछूत हिन्दू समाज का हिस्सा नहीं थे बल्कि वे ''एक अलग हिस्सा'' और अनोखे ढंग से उत्पीड़ित लोग थे। वे स्वतंत्रता और कांग्रेस द्वारा इसके अनिवार्य वर्चस्व को स्वीकार और यहां तक कि स्वागत भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें ''संरक्षणों'' की आवश्यकता थी।[4]

सामाजिक सुधारों पर अम्बेडकर के विचार

सामाजिक सुधार हमेशा से ही डॉ0 अम्बेडकर की शीर्ष प्राथमिकता थे। वह मानते थे कि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को केवल सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद

ही हल किया जाना चाहिए। यदि राजनीतिक मुक्ति के मुद्दे को प्राथमिकता दी जाती है, तो, इसका मतलब होता सत्ता का ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से ऊंची जाति के हिन्दुओं के हाथों में जाना, जो कि निचली जातियों से समान रूप से पृथक है। इस प्रकार अछूतों और समाज के पिछड़े वर्गो के खिलाफ अन्याय बना रहेगा और उनके लिए समतावादी समाज अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। इसी तरह, यह विचार की आर्थिक प्रगति के सभी सामाजिक समस्याओं को हल कर देगी, अंबेडकर के अनुसार अपरिपक्व पूर्वानुमान पर आधारित था। जातिवाद हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसने निचली जातियों के लोगों के साथ सदियों से होते चले आ रहे अन्याय को बनाए रखा है जो बिना कोई गलती किए दुःख भोगते रहे हैं।

डॉ0 अंबेडकर के अनुसार सामाजिक सुधार में परिवार व्यवस्था और धार्मिक जीवन में सुधार शामिल था। पारिवारिक सुधार का मतलब है बाल विवाह, सती, पर्दा–प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि। महिलाओं का उत्थान हमेशा से ही अंबेडकर के एजेंडे में सबसे ऊपर था। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं देने के लिए हिंदू धर्म का जबरदस्त विरोध किया। आगे चलकर आजादी के बाद, उन्होंने 'हिन्दू कोड बिल' तैयार किया जिसने महिलाओं के हित का ध्यान रखा और उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया। दोनों प्रणालीगत स्तर पर और पितृतंत्र कार्य पद्धति पर जाति प्रवर्तन, नारीवादी राजनीतिक भाशणों में बढ़ते हुए जाति/वर्ग विभाजन ने महिलाओं के उत्पीड़न, सामाजिक लोकतंत्र, जाति व हिन्दू सामाजिक व्यवस्था पर अंबेडकर के विचार तैयार किए और उनका दर्शन आधुनिक भारतीय नारीवादी चिंतन के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। समकालीन सामाजिक वास्तविकताएं व्यवाहारिक कार्रवाई के लिए उनके विषयों की व्यापक श्रृंखला, उनकी दूरदर्शिता की उदारता, उनके विश्लेषण की गहराई और उनके दृष्टिकोण की तार्किकता तथा उनके सुझावों की अनिवार्य मानवता के बारीक परीक्षण का आश्वासन देती है। भारतीय महिलाओं के आंदोलन के लिए, अंबेडकर एक ऐसा नारीवादी राजनीतिक एजेंडा तैयार करने हेतु प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत प्रदान करते हैं जो साथ–साथ वर्ग, जाति और लिंग के मुद्दों को भी हल करता है।[5]

एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में डॉ0 अंबेडकर की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव था। वह मानते थे कि ''सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है।'' आजादी के बाद के भारत में उनके सामाजिक–राजनीतिक विचार ने समस्त राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मान प्राप्त किया है। उनकी पहलों ने जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित किया है और सामाजिक–आर्थिक और कानूनी प्रेरणाओं के जरिए सामाजिक–आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्यवाही को देखने के आज के भारत के तरीके को भी परिवर्तित किया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वह व्यक्ति की आजादी में गहरा यकीन रखते थे। उन्होंने दकियानूसी जातिवादी हिंदू समाज की कड़ी आलोचना की थी। हिन्दू धर्म और जाति

व्यवस्था के इसके आधार की निंदा ने उन्हें हिन्दू दक्षिणपंथ में विवादास्पद और अलोकप्रिय बना दिया। उनके बौद्ध धर्म अपनाने से भारत और विदेश में लोग बौद्ध दर्शन में पुनः दिलचस्पी लेने लगे।

सकारात्मक कार्यवाही पर अंबेडकर के विचार

1932 में इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद की गई भारत में भावी सरकार की घोषणा में दलित वर्गो के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी थी। यह प्रावधान अछूत प्रतिनिधयों, बम्बई प्रांत के बी0आर0 अम्बेडकर और मद्रास के राव बहादुर रेट्टामल्ले श्रीनिवासन (बम्बई प्रांत और मद्रास सुधार के सबसे सक्रिय क्षेत्र थे) वे मानते थे कि सभी अन्य अल्पसंख्यकों की अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांगों के बावजूद भी, उचित रूप से चुने गए प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ खुद अछूतों द्वारा चुने जा सकते थे। महात्म गांधी उस समय स्वतंत्रता के लिए सरकार के खिलाफ गतिविधियों के कारण जेल में थे। उन्होंने सोचा अलग निर्वाचक मंडल बहुत विभाजनकारी हैं और आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर झुक गए लेकिन वह सामान्य निर्वाचक मंडल चुने जाने वाले सभी निकायों में अछूतों के लिए सींटे आरक्षित करवाने में सफल रहे।[6]

अंबेडकर को दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और ज्ञान अछूतों की स्थिति में बहुत सुधार करेंगे। शिक्षा मनुष्य को प्रबुद्ध बनाती है, उसे उसके आत्मसम्मान से परिचित करवाती है और एक बेहतर आर्थिक जीवन गुजारने में भी मदद करती है। अछूतों की दुर्दशा के प्रमुख कारणों में से एक था उन्हें शिक्षा न मिलना। 1935 तक यह साफ हो गया था कि अछूत जातियों को सूचीबद्ध किया जाना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तव में कौन आरक्षित सीटों के लिए तथा शैक्षणिक और आर्थिक लाभों के लिए पात्र होगा।

विशिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित विशिष्ट जातियों के सूचीकरण के लिए मानदंड थे मंदिरों में प्रवेश के धार्मिक अधिकारों और सार्वजनिक जगहों में प्रवेश व कुओं के इस्तेमाल के नागरिक अधिकारों से वंचित होना। 'विशिष्ट' शब्द आवश्यक था क्योंकि कौन अछूत है, यह पता लगाने का तरीक भिन्न हो सकता है। पेशा हमेशा एक विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं होता है। धोबी और नाई उत्तर के कुछ क्षेत्रों में अछूत हो सकते हैं लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। नए शब्द अनुसूचित जाति को 429 जातियों पर लागू किया गया था।

15 अगस्त, 1947 को भारत की आजादी पर, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त को, अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें सभा द्वारा भारत का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान के मसौदे को 'सबसे पहले एक सामाजिक दस्तावेज' के रूप में बयान किया। भारत के संविधान के अधिकांश उपबंध या तो सीधे सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं या फिर इसकी प्राप्ति के लिए जरूरी स्थितियों को स्थापित कर इस क्रांति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।[7]

अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए टेक्स्ट ने धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता के अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैरकानूनी घोषित करने समेत व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यापक श्रृंखला हेतु संवैधानिक गारंटियां और सुरक्षा प्रदान की। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के पक्ष में तर्क किया, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए सभा का समर्थन हासिल किया। यह व्यवस्था सकारात्मक कार्यवाही के समान थी। भारतीय विधि निर्माताओं ने इस उपायों के जरिए सामाजिक–आर्थिक असमानताओं और भारत के दलित वर्गो के लिए अवसरों के अभाव का अंत करने की उम्मीद की थी। संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अपनाया गया।

स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के इन सिद्धांतों को एक ट्रिनिटी में अलग अलग तत्व नहीं माना जाना चाहिए। वे इस मायने में ट्रिनिटी के यूनियन का गठन करते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के यथार्थ उद्देश्य की पराजय होगी। ये सिद्धांत न्यायसंगत समाज व्यवस्था की मूलभूत शिलाएं हैं और इनकी उत्पत्ति फ्रांस की राज्यक्रान्ति से हुई थी। वह स्वीकार करते हैं कि न्याय और स्वतंत्रता सभी राजनीतिक विचारों के दो बुनियादी विचार हैं। प्रत्येक समाज को कुछ इस प्रकार के सिद्धांत की जरूरत होती है जो उस संरचना से सम्बन्धित हो। न्याय सामाजिक मूल्यों का बुनियादी सिद्धांत है; यह समाज को एक साथ थामे रखता है। राजनीतिक और दार्शनिक विचारों के बीच स्वतंत्रता का उनका सिद्धांत मौलिक है। अंबेडकर के अनुसार, स्वतंत्रता को दो वर्गो में बांटा जा सकता है– नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता की अंबेडकर की धारणा तीन बुनियादी विचारों पर ध्यान देती है, वे हैं– संचरण की स्वतंत्रता, वाक्–स्वतंत्रता और क्रियाशील की स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रताओं की अक्सर भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से गारंटी दी जाती है लेकिन व्यावहारिक रूप से इसकी उपेक्षा की जाती है। ये नागरिक स्वतंत्रताएं अधिकारों के विधेयक से आई थीं। नागरिक अधिकारों के अक्सर इन अधिकारों में से एक या अधिक की ओर संकेत करने के लिए या अप्रत्यक्ष रूप से दलितों को उनकी एक या अधिक नागरिक स्वतंत्रताओं के खंडन से दलितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के दायित्व की ओर संकेत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।[8]

बौद्ध धर्म में परिवर्तन

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार ''धर्म की बुनियाद जीवन और समाज की प्रथाओं के लिए अनिवार्य है'' और धर्म व्यक्ति की सामाजिक विरासत का हिस्सा है। उनके अनुसार धर्म मानव गतिविधि के लिए प्रेरक बल था। उन्होंने कहा कि, ''मानव महज रोटी के सहारे ही जीवित नहीं रह सकता, उसके पास एक दिमाग है जिसे चिंतन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।'' अछूतों को संघटित करने और मुक्ति दिलाने के लिए विश्वास की खोज में, इतिहास पर विद्वत्तापूर्ण लेखनों के अंबेडकर के जीवन भर के अध्ययन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में बहुमूल्य संग्रहों के बीस हजार से भी अधिक किताबे शामिल थीं। ये सब उन्होंने अपने स्कूली वर्षो और उसके बाद की न्यूयॉर्क, लंदन और बॉन की यात्राओं के दौरान पढ़ी थीं। वर्मा, श्रीलंका और अन्य देशों में

जीवित बौद्ध परम्पराओं के अंबेडकर को अक्सर होने वाले अनुभव तथा एलोना और अजंता गुफाओं जैसे विभिन्न स्थानों में बौद्ध धर्म की कलाकृतियों के लिए सराहना ने शायद उनके धार्मिक प्रयास को भी प्रभावित किया होगा।[9]

अंबेडकर ने सिख धर्म को अपनाने पर विचार किया था, जो कि उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता था। इसी कारण से अनुसूचित जातियों के अन्य नेताओं को भी इसने आकर्षित किया था। उन्होंने सिख समुदाय के नेताओं से मिलने और इस नतीजे पर पहुंचने के बाद यह विचार त्याग दिया कि उनके धर्म परिवर्तन का परिणाम सिखों के बीच उनका स्तर दूसरे दर्जे का हो सकता है।

श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु हम्मालावा सद्धातिस्सा के साथ बैठकों के बाद, अंबेडकर ने अपने लिए और अपने अनुयायियों के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह आयोजित कियां परंपरागत तरीके से तीन शरणों और पांच उपदेशों को स्वीकार करते हुए, अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ अपना खुद का धर्म परिवर्तन संपन्न किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 500000 अनुयायियों का धर्म परिवर्तन करवाया जो उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हुए थे। उन्होंने तीन शरणों और पांच उपदेशों के बाद, इन धर्म परिवर्तनों के लिए 22 संकल्प निर्धारित किए। इसके बाद उन्होंने चौथे वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए नेपाल में काठमांडू की यात्रा की। ''द बुद्ध ऑर कार्ल मार्क्स'' और ''रेवलूशन ऐंड काउंटर– रेवलूशन इन एन्शंट इंडिया'' पर उनका कार्य अधूरा रह गया था। डी.सी. अहीर दावा करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अंबेडकर के प्रभाव के कारण भारतीय झंडे पर अशोक चक्र लगाया गया था और सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने सिंहों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था।[10]

डॉ0 अम्बेडकर अछूतों के लिए सामाजिक पैगंबर थे। राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय गांधी से कम महत्वपूर्ण नहीं था। संपूर्ण समानता की तलाश उन्हें बौद्ध धर्म के और करीब ले गई। इसमें कोई शक नहीं कि वह एक देशभक्त थे और राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध नहीं थे। जाति व्यवस्था का मूल चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन वास्तव में यह सबसे अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था रही है। इसलिए, भारी तनाव उत्पन्न करने वाली सामाजिक समस्याओं से हिंदुओं को अवगत कराने का श्रेय अंबेडकर को जाता है। उन समस्याओं को हल किया जाना होगा वरना वे अंत में न केवल हिंदु समाज के लिए बल्कि समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी दुर्भाग्य लेकर आएंगी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि उन्होंने दासत्व की गुलामी से लाखों दलितों के आत्मसम्मान को लगाया जिनका जाति व्यवस्था के नाम पर सदियों तक शोषण किया जाता रहा। वह मूक लोगों की आवाज बने तथा अछूतों को जातिवाद के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए वैकल्पिक दूरदर्शिता प्रदान की। धर्म परिवर्तन ने उन्हें और उनके लोगों को जातिरहित समाज में जीने की चिरस्थायी तसल्ली दी।

एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में डॉ0 अम्बेडकर की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव था। आजादी के बाद के भारत में उनके सामाजिक–राजनीतिक विचार ने समस्त राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मान प्राप्त किया है। उनकी पहलों ने जीवन के विविध पहलुओं

को प्रभावित किया है और सामाजिक–आर्थिक और कानूनी प्रेरणाओं के जरिए सामाजिक–आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्यवाही को देखने के आज के भारत के तरीके को भी परिवर्तित किया है। यह विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वह व्यक्ति की आजादी में गहरा यकीन रखते थे। उन्होंने दकियानूसी जातिवादी हिन्दू समाज की अपने ही समाज के बहुत बड़े वर्ग के प्रति उपेक्षित रहने के लिए कड़ी आलोचना की।

हिन्दू धर्म तथा जाति व्यवस्था के इसके आधार की उनकी निंदा ने उन्हें हिन्दू दक्षिणपंथ में बहुत विवादास्पर और अलोकप्रिय बना दिया। उनके बौद्ध धर्म अपनाने से भारत और विदेश में लोग बौद्ध दर्शन में पुनः उत्साह से दिलचस्पी लेने लगे। हिन्दू कोड बिल पर अपने अडिग निर्णय पर कोई समझौता नहीं करने के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक कॅरियर कुर्बान कर दिया और वापस अपने लोगों के बीच जाने का फैसला किया जिनके लिए न्याय हेतु उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। डॉ0 भीम राव अंबेडकर भारतीय समाज के उन दलित वर्ग के लिए एक प्रकाश के समान रहेंगे जो समकालीन दौर में आर्थिक अधिकारों के अभाव में राजनीतिक अधिकार दिए जाने के बाद भी उस पर दावा करने में असमर्थ हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. Ahir D.C. "*Buddhism and Ambedkar"*, 2010. Page-**9.**
2. Ambedkar, B.R. "*Who were Surdas"*, Bombay, Tacker and Company, 1946. Page-**36**.
3. Balchandra Mungerkas, "*Annihilating Caste"* Frontline, Vol. 28, Jul. 16-19, 2011. Page-**110.**
4. Ganguly, Debjani, Docker, John (eds.) *Rethinking Gandhi and Non-violent Relationality: Global perspectives* (2007). Page-**84**.
5. Gopal Guru (2002): *Ambedkar's Idea of Social Justice?* in Ghanshyam Shah (ed), Dalits and the State, Concept Publishing Company, New Delhi. Page-**121.**
6. Naik, C.D. (2003): "*Buddhist Developments in East and West Since 1950: An Outline of World Buddhism and Ambedkarism Today in Nutshell"*. Thoughts and Philosophy of Doctor B.R. Ambedkar (First ed.) New Delhi: Sarup & Sons. Page-**12.**
7. Quak, Johannes, *Disenchanting India: Organized Rationalis, and Criticism of Religion in India*, Oxford University Press, 2011. Page-**66.**
8. Sangharakshita (2005): "*Milestone on the Road to conversion*". Ambedkar and Buddhism (1st South Asian ed.) New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, Page-**72.**
9. *परीक्षा मंथन,* निबन्ध श्रृंखला, भाग–5, 2013–2014, पृष्ठ–**26**
10. *परीक्षा मंथन,* सितम्बर 2011, पृष्ठ–**14**